

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 106]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 10 मार्च 2016—फाल्गुन 20, शक 1937

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 मार्च 2016

क्र. एफ. 2(क)-30-2014-बी-3-दो.—राज्य शासन, एतद्वारा वित्तीय अधिकारों की पुस्तक 2012 के सरल क्रमांक 1.1 में प्रदत्त शक्तियों के अध्याधीन राज्य समन्वयक, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को, प्रशासकीय विभाग गृह के अंतर्गत विभागाध्यक्ष घोषित करता है.

यह आदेश सामान्य प्रशासन विभाग के यूओ क्रमांक 3578-प्रस-साप्रवि, दिनांक 9 फरवरी 2016 और वित्त विभाग के यूओ क्रमांक 235-259-2016-नियम दिनांक 19 फरवरी 2016 से प्राप्त सहमति के आधार पर जारी किया गया है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
लक्ष्मीकान्त द्विवेदी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 10 मार्च 2016

क्र. एफ. 2(क)-30-2014-बी-3-दो.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ. 2(क)-30-2014-बी-3-दो, दिनांक 10 मार्च 2016 के द्वारा हिन्दी / अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
लक्ष्मीकान्त द्विवेदी, उपसचिव.

Bhopal, the 10th March 2016

No. F-2(K)-30-2014-B-3-II.—In exercise of the powers conferred in serial No. 1.1 of the Book of Financial Powers 2012, the State Government, hereby notifies State Coordinator, State Disaster Management Authority as Head of the Department under the Administration department of Home.

This order is being issued after getting concurrence of General Administration Department *vide* U.O. No. 3578-Admin-GAD, dated 9th February 2016 and Finance Department *vide* U.O. No. 235-259-2016, dated 19th February 2016.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
LAXMIKANT DWIVEDI, Dy. Secy.